

Form 21C

(Sec rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** State from the 200- Manoharthana Assembly Constituency.

In pucsuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that---

GOVIND PRASAD

VILLAGE RANIPURA POST LAIHAS TEHSIL AKLERA DIST. JHALAWAR sponsored by **BHARATIYA JANATA PARTY** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place- Manoharthana

Dated – 03-12-2023


(Ummed Singh Ratnu)
Returning Officer

200- Manoharthana Assembly Constituency
Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Manoharthana

उम्मेदसिंह रतनू
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मनोहरथाना(200)
(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट म.थाना)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान संविरोध हो)
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

200- मनोहर थाना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में
अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

गोविन्द प्रसाद

ग्राम रानीपुरा पोस्ट ल्हास तहसील अकलेरा जिला झालावाड

जो **भारतीय जनता पार्टी** (मान्यता प्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए / की गई हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई हैं।

स्थान: मनोहरथाना

दिनांक 03-12-2023



(उम्मेद सिंह रतनू)

रिटर्निंग ऑफिसर

200-मनोहरथाना विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मनोहरथाना

उम्मेदसिंह रतनू

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मनोहरथाना(200)
(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट म.थाना)